

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 47/2022 **उपखण्ड**

1. **जि.इ.सि.ए. 510 नो.एन सि.ए. उपखण्ड वि० मी.मि.ने. गा.डी.प. - करेड़ा - भीलवाडा**
प्रार्थी.....

बनाम

1. **श.म.सि.ए. 50 नो.एन सि.ए. उपखण्ड वि० मी.मि.ने. गा.डी.प. - करेड़ा - भीलवाडा**
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 25/5/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम **श.म.सि.ए.** पटवार हल्का **श.म.सि.ए.** तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या **337** आराजी नम्बर **3960 3964 3965 4001 4070**
1.0623 / 1.9096 / 1.5882 / 1.8440 / 8.0253 /

कुल किता **5** रकबा **6.2094**

हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **25/5/22** को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 **लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....
श.म.सि.ए. पटवार हल्का **श.म.सि.ए.** तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या **337** आराजी नम्बर **3960 3964 3965 4001 4070**
1.0623 / 1.9096 / 1.5882 / 1.8440 / 8.0253 /

कुल किता **5** रकबा **6.2094**

हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक **श.म.सि.ए.** को **1600/-** रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रभारी **उपखण्ड अधिकारी**
करेड़ा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

2022/423

प्रभारी **उपखण्ड अधिकारी**
करेड़ा जिला भीलवाडा